आदेश

अधीन धारा 3 आफ पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918

जैसा कि विदित है कि दिनांक 24.03.2020 से भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस–19 महामारी की रोकथाम के लिए हरियाणा राज्य सहित सम्पूर्ण/समस्त भारत को आगामी 21 दिनों (14 अप्रैल 2020) तक लोक डाउन के आदेश जारी किया गया है जिसके दृष्टिगत किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थितिय को छोड़कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नही दी गई है। क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से इस महामारी के फैलने का अंदेशा बना रहता है, जिसके दृष्टिगत सम्पूर्ण जिला जीन्द के सभी गॉवों/स्थानीय निकाय में तुरन्त प्रभाव से ठीकरी प्रहरा लगाया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं डा0 आदित्य दहिया, भा0प्र0से0, जिलाधीश, जीन्द दा पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3 (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जीन्द की सभी ग्राम पंचायतों/स्थानीय निकायों को ठिकरी पहरा लगाने के आदेश पारित करता हूं।

इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी/तहसीलदार/उपतहसीलदार/खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी/ग्राम पंचायत/ स्थानीय निकाय की होगी। सभी थाना प्रबन्धक भी इस मामले में सम्बन्धित नगर परिषद/नगर पालिका/ग्राम पंचायतों से सम्पर्क बनाए रखेगें। इन आदेशों का प्रचार जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क अधिकारी/तहसील/उप तहसीलदार/लोकल बाडिज/खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों द्वारा करवाया जायेगा।

इस आदेश की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दा पंजाब विलेज एण्ड स्मॉल टाऊन एण्ड पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 9 व 11 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश लोक डाउन अवधि तक के लिए आज दिनांक 30 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रांक सहित जारी हुए।

30/3/20

जिलाधीश, जीन्द।

DISTRICT MAGISTRATE JIND (Haryana)

पृ0 क्रमांक 548-568 /एम0ए0 दिनांक 30-03-2020

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, चण्डीगढ।
4. आयुक्त, हिसार मण्डल, हिसार ।
5. महानिदेशक पुलिस, हरियाणा, पंचकूला।
6. महानिरीक्षक पुलिस, हिसार मण्डल, हिसार ।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीष, जीन्द।
8. राज्य के सभी उपायुक्त।
9. अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
10. महानिरीक्षक–कम–प्रवर पुलिस अधीक्षक, जीन्द।
11. उपमण्डल अधिकारी (ना0), जीन्द/नरवाना/उचाना/सफीदों।
12. जिला राजस्व अधिकारी, जीन्द।
13. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जीन्द ।
14. जिला के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदार।
15. जिला के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
16. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जीन्द/नरवाना ।
17. सचिव, नगर पालिका, जुलाना/उचाना/
18. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जीन्द को भेजते हुए लिखा जाता है कि उक्त आदेश जिला जीन्द की वैबसाईट पर अप–लोड करवाने का कष्ट करें।
19. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी, जीन्द।
20. निजी सहायक उपायुक्त/नगराधीश, जीन्द ।

DISTRICT MAGISTRATE JIND (Haryana)

30/3/20

जिलाधीश, जीन्द।